पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

सोलन के बाद अब बद्दी में भी बिना लाइसेंस संचालित दवा फैक्ट्री पकड़ी, मशीनरी, कच्चा माल, अर्धनिर्मित और तैयार दवाएं बरामद

वाराणसी में नकली दवाओं की एक खेप से खुला हिमाचल तक फैला अंतरराज्यीय सिंडिकेट, यूपीएफएसडीए जांच ने खोली हर कड़ी की नई परत

मेडिकल स्टोर से शुरू हुई पड़ताल मुख्य सप्लायर और फिर हिमाचल में अवैध फैक्ट्रियों तक पहुंची, यूपीएफएसडीए ने यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर किया नेटवर्क का खुलासा

Zangi App के जरिए संपर्क, बिना बिल दवाओं की सप्लाई और ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद तैयार करने का मिला सुराग, सहारनपुर तक पहुंचे नेटवर्क के तार

लखनऊ : 19 नवम्बर, 2026

नकली और काउंटरफिट दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) की जांच एक मेडिकल स्टोर से शुरू होकर अंतरराज्यीय दवा निर्माण और आपूर्ति सिंडिकेट तक पहुंच गई। वाराणसी में नकली दवाओं की बरामदगी, सप्लाई करने वालों से पूछताछ, मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी और उसके बाद मिले सुरागों ने इस नेटवर्क की कई परतें खोल दीं। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यूपी एफएसडीए की विशेष टीम ने यूपी एसटीएफ के साथ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में संयुक्त छापेमारी की, जहां अब तक दो अवैध दवा निर्माण इकाई का खुलासा हुआ है। सोलन में पकड़ी गई फैक्ट्री के बाद अब बद्दी के जुड्डीकलां स्थित विधि वी डी फार्मा में भी बिना लाइसेंस संचालित एक अन्य दवा निर्माण इकाई का भी खुलासा हुआ है। यूपीएफएसडीए की कार्रवाई के बाद अब स्थानीय एफडीए और पुलिस आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पर्यवेक्षण में चल रही इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि विभाग ने केवल बरामद दवाओं तक जांच सीमित नहीं रखी, बल्कि उनके स्रोत, सप्लाई चेन, मुख्य आपूर्तिकर्ताओं और निर्माण स्थलों तक पहुंचने के लिए लगातार कड़ियां जोड़ीं।

मेडिकल स्टोर से मिली पहली कड़ी, निर्माता कंपनी की शिकायत से हुई नकली दवा की पुष्टि

इस पूरे मामले की जांच 30 अक्टूबर 2026 को वाराणसी के ग्राम कुरौना, थाना जंसा स्थित बिना औषधि लाइसेंस संचालित मेसर्स एसपी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी से शुरू हुई। यहां प्रतिष्ठित दवा निर्माता कंपनी मैनकाइंड के नाम से बेची जा रही Nurokind-LC टैबलेट बरामद हुईं। पूछताछ में मेडिकल स्टोर संचालक सुनील कुमार पटेल ने बताया कि उसने ये दवाएं लहरतारा स्थित मेसर्स सुपर ड्रग एजेंसी के सेल्समैन अशोक कुमार वर्मा से बिना बिल खरीदी थीं। इस जानकारी के बाद जांच टीम ने मूल निर्माता कंपनी मैनकाइंड से संपर्क किया। कंपनी की शिकायत और तुलनात्मक जांच में दवाओं के नकली होने की पुष्टि हुई। इस कार्रवाई में करीब पांच लाख रुपये मूल्य की अन्य अवैध दवाएं भी सीज की गईं। इस शुरुआती कार्रवाई ने जांच टीम को उस सप्लाई एजेंसी तक पहुंचने का रास्ता दिया, जहां से नकली दवाएं मेडिकल स्टोर तक पहुंच रही थीं।

सेल्समैन से पूछताछ में सामने आया मुख्य भंडारणकर्ता

पहली कार्रवाई से मिली जानकारी के आधार पर 2 नवंबर 2026 को यूपीएफएसडीए की संयुक्त टीम ने सुपर ड्रग एजेंसी के अशोक वर्मा और डिलीवरी करने वाले प्रियांशु तिवारी से पूछताछ की। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर टीम थाना रोहनिया के परमानंदपुर स्थित सुरेंद्र नाथ मिश्रा के आवास पहुंची। यहां एक कमरे में बिना बिल और लाइसेंस के 17 प्रकार की एलोपैथिक दवाओं का बड़ा स्टॉक मिला। Gudcef-Plus और Nurokind-LC के स्ट्रिप्स पर लेबल प्रिंटिंग और स्पेलिंग में गंभीर त्रुटियां पाई गईं। इन्हें नकली मानते हुए 11 नमूने जांच के लिए लिए गए और करीब दो लाख रुपये मूल्य की शेष दवाएं सीज कर दी गईं। इस बरामदगी से जांच का दायरा मेडिकल स्टोर और सप्लाई एजेंसी से आगे बढ़कर मुख्य भंडारणकर्ता तक पहुंच गया।

Zangi App से संपर्क और मुख्य सप्लायर अभिषेक सिंह तक पहुंची जांच

पूछताछ में सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने खुलासा किया कि उसे नकली दवाओं की आपूर्ति सोनभद्र के अनपरा निवासी अभिषेक सिंह उर्फ रवि करता था। वह उससे संपर्क के लिए एन्क्रिप्टेड Zangi App का इस्तेमाल करता था। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद जांच टीम ने सप्लाई नेटवर्क के मुख्य स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया। औषधि निरीक्षक की तहरीर पर थाना रोहनिया में चारों अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में यह भी सामने आया कि अभिषेक सिंह वर्ष 2023 में थाना सिगरा, वाराणसी में दर्ज बड़े नकली दवा कांड में भी मुख्य अभियुक्त रह चुका है। उसकी गिरफ्तारी इस जांच का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई।

मुख्य आरोपी की पूछताछ ने खोला हिमाचल प्रदेश का रास्ता

अभिषेक सिंह उर्फ रवि की गिरफ्तारी के बाद उससे हुई सघन पूछताछ में नकली दवाओं के निर्माण के वास्तविक ठिकानों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पूछताछ में सहारनपुर निवासी हसीन और वसीम, पुत्र सलीम, के नाम सामने आए। दोनों मूल रूप से चिलकाना, सहारनपुर के रहने वाले बताए गए। जांच में सामने आया कि वे हिमाचल प्रदेश के सोलन क्षेत्र में दवाओं का निर्माण करवाकर उनकी आपूर्ति करते थे। अभियुक्त के बयान और मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं का मिलान करने के बाद यूपीएफएसडीए की विशेष जांच टीम ने लखनऊ एसटीएफ के साथ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की तहसील नालागढ़ स्थित राजपुरा–खेड़ा बाईपास क्षेत्र में चिन्हित निर्माण इकाई पर 18 नवंबर 2026 को संयुक्त छापेमारी की। यहां बिना लाइसेंस दवा निर्माण इकाई संचालित पाई गई। फैक्ट्री में दवाओं के निर्माण के साथ–साथ प्रतिष्ठित कंपनियों के ब्रांड की हूबहू पैकेजिंग तैयार करने से संबंधित सामग्री भी मिली।

जांच में सामने आए ब्रांडेड दवाओं के नाम पर नकली उत्पाद तैयार करने के साक्ष्य

छापेमारी के दौरान Pan-D (Alkem), Pressiz–300, C-AZ, A-Cipex–625, Neruro–300, Clavam–625, Clav–625, Cef–200LB, ObefixLB–200, Alcemox-CV, Zedi–200–LB, V-Clav–625, Zerodol-SP और Shelcal-500 mg जैसे उत्पादों से संबंधित सामग्री बरामद हुई। फैक्ट्री में दवा निर्माण और उनकी पैकेजिंग के लिए आधुनिक मशीनें लगी मिलीं। इनमें ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, अलु अलु पैकिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, वजन मापने वाली मशीनें, प्रिंटेड फॉइल, स्टीरियो प्रिंटिंग सामग्री और अन्य उपकरण शामिल हैं। इन बरामद उत्पादों और पैकेजिंग सामग्री के जरिए जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि किस प्रकार ब्रांडेड दवाओं के नाम पर नकली उत्पाद तैयार कर बाजार में पहुंचाए जा रहे थे।

बद्दी की V.D. Pharma तक भी पहुंची जांच की कड़ी

सोलन में कार्रवाई के दौरान मिले बयानों और प्राप्त अभिसूचनाओं के आधार पर जांच टीम को बद्दी के जुड्डीकलां स्थित V.D. Pharma में भी अवैध दवा निर्माण की जानकारी मिली। पड़ताल में यहां भी बिना लाइसेंस संचालित दवा निर्माण इकाई का खुलासा हुआ। मौके से टैबलेट, कैप्सूल और सिरप बनाने वाली मशीनें एवं अन्य उपकरण मिले। बड़ी मात्रा में कच्चा माल, अर्धनिर्मित और तैयार दवाएं भी बरामद की गईं। इनमें एंटीबायोटिक्स, एंटासिड और कफ सिरप के निर्माण से संबंधित सामग्री शामिल है। इस इकाई में मिली मशीनरी और सामग्री से दवा निर्माण की व्यापक व्यवस्था होने के संकेत मिले हैं। इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के औषधि विभाग द्वारा की जा रही है।

सहारनपुर में भी खंगाले जा रहे नेटवर्क के ठिकाने

जांच के दौरान हसीन और वसीम से जुड़े सहारनपुर के चिह्नित ठिकानों पर भी अवैध दवाओं के निर्माण, भंडारण और खरीद–बिक्री से संबंधित सुराग मिले हैं। इन स्थानों पर भी वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है।

सम्पर्क सूत्र– आशिया खातून

राघवेन्द्र / 05:00 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ईपीबीएक्स० : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं० : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in